

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बरण तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

प्रकरण संख्या 23/2017

अनवान

1 हेमलता राज पत्नि कीर्तिसिंह राज, निवासी बी 208 सजंय कॉलोनी भीलवाडा तहसील व
जिला-भीलवाडा वादीया

बनाम

1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955**

उपस्थित :- श्री हेमलता राज..... वादीया
पैरोकार सरकार..... विपक्षी

दिनांक 10.06.2017

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88-89-90-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का क्षेत्र बरण तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 293 के आराजी संख्या 1527 रकबा 01-13 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादीया का नाम हेमलता राज पत्नि हरिसिंह राज के स्थान पर हेमलता राज पत्नि कीर्ति सिंह राज खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

डिक्री आज दिनांक 10.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि-

1 तहसीलदार बनेड़ा को भेजकर लेख है कि मुताबिक डिक्री राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा